सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2018/493

दर्ज तिथिः–02.07.2018

1. मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू

..................वादी

बनाम

1. अंकित पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति मंजू पत्नी महेन्द्र
2. अनुष्का पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति मंजू पत्नी महेन्द्र
3. चालवी देवी पत्नी प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
4. भगवानाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
5. भागीरथ पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
6. मंजु पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
7. बैक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक रतननगर तहसली व जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

..................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री सुरेन्द्र बुडानिया
प्रतिवादी सं. 1,2,5,6:–श्री धन्नराम सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय प्रारम्भिक डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 01.05.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अंतर्गत धारा– [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते तकासमा किये जाने पेश हुई है। प्रकरण [illegible] इस प्रकार से है कि यह वाद वादी मोहनलाल द्वारा ग्राम [illegible] नम्बर 68 व 78 (कुल रकबा 7. 5878 हेक्टेयर) के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी का कथन है कि [illegible] भूमि में उसका 1/5 हिस्सा है और पक्षकारों के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है, [illegible] अनुसार वह अपने हिस्से पर बाड़ लगाकर काबिज है। वादी का कहना है कि भविष्य में विवाद से बचने हेतु विधिक विभाजन आवश्यक है।

2. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में आने योग्य होने से वाद को वाद रजिस्टर में दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन द्वारा तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 ता 6 की से अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 भूमिधारी होने के कारण केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लिया गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से जवाब—दावा प्रस्तुत कर वादी के दावों का खंडन किया गया। प्रतिवादीगण का मुख्य तर्क है कि वादी ने तथ्यों को छुपाया है; पक्षकारों की अन्य संयुक्त कृषि भूमि ग्राम सूरतपुरा के खसरा नम्बर 274 व 276 (कुल रकबा 12.2417 हेक्टेयर) में भी स्थित है, जिसे इस वाद में शामिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार, सूरतपुरा वाली भूमि के एक भाग पर स्व. महेन्द्र द्वारा निर्मित स्कूल संचालित है जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा है और वादी अनुचित तरीके से उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम किए गए

    1. तनकी संख्या 1: आया वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 68, 78 रोही ग्राम सहनाली छोटी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो आपसी बाहमी बंटवारे से अलग—अलग कब्जा काश्त होकर कृषि कर रहे हैं? (भार वादी पर)
    2. तनकी संख्या 2: आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की एक अन्य कृषि भूमि सूरतपुरा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 274 व 276 है जिसका हवाला उक्त दावा में नहीं दिया गया है किसी खातेदार की अलग—अलग भूमि के लिए अलग—अलग दावे नहीं लाये जा सकते जब तक खसरा नम्बर 274 व 276 की भूमि को उक्त दावा में नहीं जुड़वाया जा सकता? (भार प्रतिवादी पर)

5. न्यायालय द्वारा वादी को अपने दावों की पुष्टि हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। किन्तु, वादी द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी केवल पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक जमाबंदी के आधार पर ही अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा, क्योंकि प्रतिवादीगण ने तथ्यों का सप्रमाण खंडन किया है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से मंजु (प्रतिवादी सं. 6) और भागीरथ (प्रतिवादी सं. 5) ने अपने विस्तृत शपथ—पत्र (आदेश 18 नियम 4 सीपीसी) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनका मुख्य विवरण निम्नानुसार है प्रतिवादीगण ने प्रमाणित किया कि पक्षकारों के मध्य सहनाली छोटी (7.5878 हेक्टेयर) के अलावा सूरतपुरा में भी 12.2417 हेक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिससे कुल रकबा 19.8295 हेक्टेयर होता है। वादी ने इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया है। प्रतिवादीगण ने शपथपूर्वक बयान किया कि सह—खातेदार भंवरलाल की ला—औलाद मृत्यु के पश्चात [illegible] हिस्सों में परिवर्तन आया है, किन्तु वादी ने पुराने रिकॉर्ड (1/5 हिस्सा) के [illegible] दावा पेश किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। कब्जा व स्कूल का साक्ष्य[illegible] साक्ष्य दिया कि सूरतपुरा स्थित खसरा नं. 274 व 276 के [illegible] उनके पति स्व. महेन्द्र ने स्कूल का निर्माण करवाया था, जिसका वह वर्तमान में [illegible]लन कर रही है और उस पर उसी का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा प्रस्तुत रंगीन नक्शे को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

काल्पनिक और मनगढ़ंत बताते हुए उसे साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य करने का निवेदन किया।

7. यह वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खाता विभाजन (तकसीम) हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 68/0.9485 हैक्टेयर, 78/6.6393 हैक्टेयर (रोही सहनाली छोटी), कुल रकबा 7.5878 हेक्टेयर तहसील एवं जिला चूरू स्थित बारानी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य दिनांक 04.10.2024 को विरचित तनकीयात् (विवाद्यक) पर विधिक विवेचना व निर्णय निम्नानुसार है:—

1. तनकी संख्या 1: आया वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 68, 78 रोही ग्राम सहनाली छोटी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो आपसी बाहमी बंटवारे से अलग—अलग कब्जा काश्त होकर कृषि कर रहे हैं? (भार वादी पर)

   विवेचनाः वादी ने अपने वाद पत्र में खसरा नम्बर 68 व 78 को संयुक्त खातेदारी की भूमि बताते हुए मौखिक बंटवारे और पृथक कब्जे का दावा किया है। किन्तु, वादी ने अपने इन दावों की पुष्टि हेतु न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अपने साक्ष्य शपथ—पत्र में यह स्पष्ट किया है कि पक्षकारों के मध्य कभी भी कोई विधिक या बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है और वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा पूर्णतः काल्पनिक है। चूंकि वादी अपना भार सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

   निष्कर्षः तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्या 2: आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की एक अन्य कृषि भूमि सूरतपुरा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 274 व 276 है जिसका हवाला उक्त दावा में नहीं दिया गया है किसी खातेदार की अलग—अलग भूमि के लिए अलग—अलग दावे नहीं लाये जा सकते जब तक खसरा नम्बर 274 व 276 की भूमि को उक्त दावा में नहीं जुड़वाया जा सकता? (भार प्रतिवादी पर)

   विवेचनाः इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी संख्या 6 (मंजु) और प्रतिवादी संख्या 5 (भागीरथ) ने अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि न केवल सहनाली छोटी में, बल्कि ग्राम सूरतपुरा के खसरा नम्बर 274 व 276 (रकबा 12.2417 हेक्टेयर) में भी स्थित है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य दिया कि कुल संयुक्त जोत 19.8295 हेक्टेयर है। वादी ने अपनी बहस या साक्ष्य में इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। राजस्व विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, आंशिक विभाजन का वाद तब तक पोषणीय नहीं है जब तक कि समस्त संयुक्त संपत्तियों को एक ही वाद में शामिल न किया जाए। वादी द्वारा अन्य भूमि को छिपाना विधिक रूप से गलत है।

   निष्कर्ष :तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

8. उपरोक्त तनकीयात् के निष्कर्षों [illegible] प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने न तो स्वयं [illegible] किया और न ही समस्त संयुक्त संपत्तियों को वाद में शामिल किया। [illegible] के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि वादी अनुचित तरीके से वि[illegible] को प्रभावित करना चाहता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

मोहनलाल बनाम मंजू आदि
2018 / 439
निर्णय दिनांकः—01.05.2026

निर्णय

दावा वादी अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा के तहत आंशिक विभाजन की विधिक त्रुटि और साक्ष्य के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वादी को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह समस्त संयुक्त संपत्तियों (सहनाली छोटी व सूरतपुरा) को सम्मिलित करते हुए विधिक रूप से नया वाद प्रस्तुत कर सके। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिक्री तदनुसार तैयार की जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.05.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

मोहनलाल बनाम मंजू आदि
2018 / 439
निर्णय दिनांकः—01.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2018 / 493 दर्ज तिथिः—02.07.2018

1. मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू

..................वादी

बनाम

1. अंकित पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति मंजू पत्नी महेन्द्र
2. अनुष्का पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति मंजू पत्नी महेन्द्र
3. चालवी देवी पत्नी प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
4. भगवानाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
5. भागीरथ पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
6. मंजु पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम सहनाली छोटी तहसली व जिला चूरू
7. बैक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक रतननगर तहसली व जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

..................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री सुरेन्द्र बुडानिया
प्रतिवादी सं. 1,2,5,6:—श्री धन्नराम सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा के तहत प्रस्तुत वाद में आंशिक विभाजन की विधिक त्रुटि और साक्ष्य के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वादी को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह समस्त संयुक्त संपत्तियों (सहनाली [illegible]) [illegible] करते हुए विधिक रूप से नया वाद प्रस्तुत कर सके। पक्षकारान [illegible] अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 01.05.2026 को [illegible] जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)